not be collected in the current financial year. Subsidies should be given to the small and marginal farmers.

In view of this I demand that the Government of India should provide an assistance of Rs. 100 crores to Orissa to deal with the drought situation.

(ii) NEED FOR FIXING SUPPORT PRICE OF TURMERIC.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): Turmeric otherwise known as Haldi is an important commercial crop in Andhra Pradesh and it ranks first in the country in Turmeric production.

The price of turmeric has crashed as never before. The present prices range between Rs. 160 to Rs. 230 per quintal as against Rs. 550 in 1969, Rs. 950 in 1977 and Rs. 910 per quintal in 1978.

It is thus seen that due to the steep fall in prices of turmeric, the producers are very much ruined. The income from the crop is much less than the cost incurred.

Whereas the cost of production of turmeric per acre works out to nearly Rs. 16,000, the income is only Rs. 4000 in that area. This data is given by Mahatma Phule Agricultural University in Sangli district of Maharashtra.

The Government has not yet fixed support price for turmeric as done in the case of other commercial crops. It is quite necessary to fix up the minimum price for turmeric to protect the producers. I, therefore, request the Government to fix up a minimum price of at least Rs. 700 per quintal for this commodity.

I also request the Government to enter into the market, purchase turmeric and have a buffer stock to protect the turmeric producers.

(iii) REPORTED DEATHS DUE TO SOME UNKNOWN DISEASE IN SIKAR (RAJASTHAN)

श्री चतुर्भुज (झालावाड़): जिला सीकर (राजस्थान) में भयंकर अज्ञात बीमारी के द्वारा अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है । समाचारपत्रों के अनुसार 30 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है । इस अज्ञात बीमारी से पीड़ित लोगों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया और कुछ व्यक्तियों की तो जयपुर अस्पताल भी पहुंचाया गया लेकिन इस बीमारी के मरीजों को नहीं बचाया जा सका । अत: इस बीमारी का तत्काल निदान निकाला जाये । इस के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी ओर से विशेष डाक्टरों की नियुक्ति इस इलाके में करे ताकि इस भयंकर बीमारी के विस्तार को रोका जा सके और लोगों को बचाया जा सके ।

(iv) NEED FOR EVICTING UNAUTHORISED OCCUPANTS OF GOVERNMENT QUARTERS IN GOLD MARKET AREA

श्री आर० एन० राकेश (चाँदनी चौक): गोल मार्किट के डी० आई० जेड० एरिया में रावर्ट स्क्वेअर, लेक स्क्वेअर तथा अन्य स्क्वेअरों में टाइप चार श्रेणी के एक मंजिले क्वार्टर कई वर्ष पहले से खाली पड़े हैं और इनमें असामाजिक तत्वों ने अपने अड्डे बना रखे हैं । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार इन असामाजिक तत्वों को बसाने के लिये जिम्मेदार हैं, जिनके का ण वहां आसपास के आवंटितियों को अकथनीय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कुछ व्यक्तियों ने इन तत्वों के विरुद्ध मंदिर मार्ग थाने, पुलिस के उच्च अधिकारियों और सी० पी० डब्ल्यू० डी० के संबंधित इंजीनियरों को लिखित शिकायतें की हैं लेकिन उन की कोई सुनवाई नहीं हो रही है ।

कई वर्ष पहले क्वार्टरों को खाली कराकर और उन्हें असामाजिक तत्वों के अड्डे बनाकर छोड़ देने से इस क्षेत्र में जहां एक ओर कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है और वैध आवंटितियों का जीना दूभर हो रहा है, वहां दूसरी ओर सरकार को किराये के रूप में प्राप्त होने वाले राजस्व की हानि हो रही है और अनेक सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास का भी

लाभ होता यदि इन क्वार्टरों को इस तरह निरुद्देश्य खाली न कराया गया होता ।

अतः मेरा निर्माण एव आवास मंत्री तथा गृह मंत्री से अनुरोध है कि वहां गैर-कानूनी रूप से बसे या बसाये गए लोगों को वहां से तुरन्त हटाया जाए और उन क्वार्टरों को या तो पुनः आवंटित किया जाए या फिर उन्हें तत्काल गिरा दिया जाए ।

दूसरे वहां अब जो क्वार्टर आवंटित हैं उन्हें इस प्रकार निरुद्देश्य खाली न कराया जाये क्योंकि इससे जहां एक ओर राजस्व की हानि होगी वहां दूसरी ओर आवास समस्या भी बढ़ेगी । आवास और निर्माण मंत्री इस संबंध में एक वक्तव्य दें और यह आश्वासन दें कि शेष क्वार्टरों को निरुद्देश्य और समय से पहले खाली नहीं कराया जाएगा ।

(v) REPORTED DE-RECOGNITION OF MEDICAL COLLEGES IN BIHAR

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : बिहार सरकार ने 1978 में 5 निजी चिकित्सा महाविद्यालयों—1. नालन्दा मैडिकल कालेज, पटना, 2. पाटलीपुत्र मैडिकल कालेज, धनबाद, 3. श्री कृष्ण मैडिकल कालेज, मुजफ्फरपुर, 4. भागलपुर मैडिकल कालेज, भागलपुर व 5 मगध मैडिकल कालेज, गया का अधिग्रहण किया था ।

इन चिकित्सा महाविद्यालयों में न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने का निर्देश इण्डियन मैडिकल कौंसिल ने दिया था तथा इसी शर्त पर अस्थायी एवं औपबंधिक मान्यता दे दी थी, कि निर्धारित अवधि के अन्दर न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर दिया जाएगा । न्यूनतम आवश्यकताओं एवं शर्तों में महाविद्यालयों का अपना भवन, अपना अस्पताल और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति शामिल थी ।

इसी बीच सरकार बदल गयी और इण्डियन मैडिकल कौंसिल के बार बार चेतावनी दिये जाने के बावजूद बिहार सरकार ने उपर्युक्त शर्तों को पूरा नहीं किया । फलस्वरूप इण्डियन मेडिकल कौंसिल ने इन चिकित्सा महाविद्यालयों की मान्यता समाप्त कर दी है, जिसके कारण कई हजार छात्रों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है । मुजफ्फरपुर, पटना आदि कई जगहों पर छात्र आन्दोलन कर रहे हैं ।

अतः सरकार से मांग है कि इण्डियन मैडिकल कौंसिल द्वारा निर्धारित न्यूनतम शर्तों की अविलम्ब पूर्ति कर शीघ्रातिशीघ्र मान्यता दिलाने में पहल करें ।

(vi) *S.C.* AND *S.T.* AND LOCAL STUDENTS' PROBLEM IN GETTING ADMISSION TO JAWAHARLAL INSTITUTE OF POST GRADUATE MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH PONDICHERRY

DR. V. KULANDAIVELU (Chidambram): I would like to draw the immediate attention of the Minister of Health and Family Welfare, Government of India about the serious plight of the people of Pondicherry Union Territory consequent to a decision of Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research for a provision of an admissibility of the wards of the Central/State Government servants, including employees of Public Sector Undertakings under the Central/State Government posted in the Union Territory of Pondicherry at the time of application to the M.B.B.S course 1982-83 irrespective of the period of their residents in the Union Territory of Pondicherry despite a regular procedure of a claim of nativity if they have stayed for more than five years. The mere declaration of local nativity when they have stayed for even a day and not more than five years at the time of application is a definite injustice and may lead to total deception to the erstwhile natives of Pondicherry Union Territory. The attitude of the new conception requires revival to the original strategy.